

क्रमांक 2001/19/यो/2011-12 - 6381

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

विषय: लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण यंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण करने बाबत।

-0-

निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा एवं समुचित गुणवत्ता नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री अपने अधिकार क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमित दौरा कर निरीक्षण टीप जारी करेंगे। इन निरीक्षण टीपों के पालन प्रतिवेदन की जिम्मेदारी संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं की होगी। प्रमुख अभियंता स्तर पर इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन प्रतिवेदन की सतत समीक्षा भी की जावेगी। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री आवश्यकता पडने पर धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के मामलों में स्वप्रेरणा से ठेकेदार/इंजीनियर्स के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।
2. मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री निर्माण कार्यों की नियमित कार्यवार समीक्षा माह के प्रथम सप्ताह में करेंगे, जिसमें वे विशेषकर कार्यों की धीमी प्रगति, प्रशासकीय स्वीकृति+ 10 प्रतिशत से अधिक राशि के व्यय, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में, समयवृद्धि प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, कार्यों के त्रैमासिक, भौतिक, वित्तीय लक्ष्य की समीक्षा करेंगे, तथा कार्यवाही विवरण प्रत्येक माह के 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता को एवं मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।
3. मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु, कम से कम वर्ष में एक बार परिक्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण की कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिसमें भवन, सड़क एवं पुल निर्माण एवं मरम्मत के संबंध में समस्त उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्यशाला में कार्यों की केस स्टडी पर भी चर्चा को प्रोत्साहित किया जाये। इसके अतिरिक्त इस कार्यशाला में नये पंजीकृत एवं पुराने ठेकेदारों को भी शामिल किया जावे तथा उन्हें अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी जावे।


उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर0 के0 मेहरा)

अपर सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग



मुख्य अभियंता (रा.प.)

- 3 JAN 2012

One copy
for P.F. + V.S.R.

मु.अ. (यो/व)

11/2/11

1.12

से (रा/र)

I.i. officer for
uploading the
work

मु.अ. (यो/व)

4/1/2011

सु.अ. (यो/व)
CE/S/PLS/EE


5230
5.12

पृ.क्रमांक 2001/19/यो/2011-12-6382

भोपाल दिनांक 30-11-11

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता (..... परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल
की ओर सूचनार्थ।


अपर सचिव 30.11.11
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

130


3491

पृ.क्रं. मु.क्र/अ.यंत्री/सभीसा/गुणवत्ता नियंत्रण/सं.11/ दि 26.12.11
प्रतिलिपि :- समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग --- परिक्षेत्र

1. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्डल म.प्र.

3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं दिये गये निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्ररहित।


29/12/11
मुख्य अभियंता (यो/व)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल
29/12